मूल कर्तव्य
(Fundamental Duties)

☞ भारत के संविधान में मूल अधिकारों के साथ मूल कर्त्तव्यों (मौलिक कर्त्तव्यों) को भी शामिल किया गया है। वस्तुत: अधिकार और कर्त्तव्य एक-दूसरे के पूरक हैं। अधिकारविहीन कर्त्तव्य निरर्थक होते हैं, जबकि कर्त्तव्य विहीन अधिकार निरंकुशता पैदा करते हैं।

☞ यदि व्यक्ति को 'गरिमापूर्ण जीवन' का अधिकार प्राप्त है तो उसका कर्त्तव्य बनता है कि वह अन्य व्यक्तियों के गरिमापूर्ण जीवन के अधिकार का भी ख्याल रखे। यदि व्यक्ति को 'अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता' प्यारी है तो यह भी जरूरी है कि उसमें दूसरों की 'अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता' के प्रति धैर्य और सहिष्णुता विद्यमान हो।

भारतीय संविधान में मूल कर्त्तव्यों का इतिहास
(History of Fundamental Duties in Indian Constitution)

☞ भारतीय संविधान भी प्रारंभ में मूल कर्त्तव्य शामिल नहीं थे। इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्रित्व काल में 1975 ई. में आपातकाल की घोषणा की गई, तभी सरदार स्वर्ण सिंह के नेतृत्व में संविधान में उपयुक्त संशोधन सुझाने के लिये एक समिति का गठन किया गया था।

☞ स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसाओं के आधार पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 के द्वारा संविधान के भाग 4 के पश्चात् भाग 4क अंत: स्थापित किया गया और उसके भीतर अनुच्छेद 51क को रखते हुए 10 मूल कर्त्तव्यों की सूची प्रस्तुत की गई। आगे चलकर 86वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2002 के माध्यम से एक और मूल कर्त्तव्य जोड़ा गया, जिसके तहत 6-14 वर्ष की आयु के बच्चों के माता-पिता या संरक्षक पर यह कर्त्तव्य आरोपित किया गया है कि वे अपने बच्चे द्य अथवा प्रतिपाल्य को शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्रदान करेंगे।

मूल कर्त्तव्यों की सूची
(List of Fundamental Duties)

☞ वर्तमान में संविधान के भाग 4क तथा अनुच्छेद 51क के अनुसार भारत के प्रत्येक नागरिक के कुल 11 मूल कर्त्तव्य हैं। इसके अनुसार, भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्त्तव्य होगा कि वह-

1. संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे।
2. स्वतंत्रता के लिये हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में सँजोए रखे और उनका पालन करे।
3. भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे।
4. देश की रक्षा करें और आह्वान किये जाने पर राष्ट्र की सेवा करे।
5. भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो, ऐसी प्रथाओं का त्याग करे, जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हैं।
6. हमारी सामासिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्त्व समझे और उसका परिरक्षण करे।
7. प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, रक्षा करे और उसका संवर्द्धन करे तथा प्राणिमात्र के प्रति दयाभाव रखे।
8. वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे।

86वाँ संविधान संशोधन

वर्ष 2002 में शिक्षा के अधिकार को संविधान के अनुच्छेद 51क में संशोधन करके (10) के बाद नया अनुच्छेद (11) जोड़ा गया है, ''इसमें 6 साल से 14 साल तक की आयु के बच्चे के माता-पिता या अभिभावक अथवा संरक्षक को अपने बच्चे अथवा प्रतिपाल्य को शिक्षा दिलाने के लिये अवसर उपलब्ध कराने का प्रावधान है।''

9. सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे।
10. व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत् प्रयास करे, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न से उपलब्धि की नई ऊँचाइयों को छू ले।
11. जो माता-पिता या संरक्षक हों, वह छ: से चौदह वर्ष के बीच की आयु के, यथास्थिति, अपने बच्चे अथवा प्रतिपाल्य को शिक्षा प्राप्त करने के अवसर प्रदान करेगा।

मूल कर्त्तव्यों को प्रभावी बनाने के उपाय
(Measures for Making Fundamental Duties Effective)

☞ भारत सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश श्री जे.एस. वर्मा की अध्यक्षता में मूल कर्त्तव्यों के प्रचालन पर विचार करने के लिये एक समिति गठित की थी। इस समिति ने 1999 ई. में प्रस्तुत की गई अपनी रिपोर्ट में मूल कर्त्तव्यों को प्रभावी बनाने

के लिये कुछ सुझाव दिये, जिनमें प्रमुख हैं-

1. 3 जनवरी को मूल कर्त्तव्य दिवस घोषित किया जाए। 3 जनवरी की तिथि इसलिये चुनी गई थी, क्योंकि इसी दिन से 42वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 लागू हुआ था, जिसमें मूल कर्त्तव्य भी थे।
2. मूल कर्त्तव्यों को विद्यालयों के पाठ्यक्रम तथा अध्यापकों के प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए।
3. सभी सरकारी कार्यालयों तथा सार्वजनिक स्थानों पर बोर्ड, विज्ञापन आदि के माध्यम से मूल कर्त्तव्यों को ज़्यादा से ज्यादा प्रस्तुत किया जाना चाहिये, ताकि लोगों को उनसे परिचित होने का मौका मिल सके।
4. मीडिया को लगातार ऐसे संदेश तथा कार्यक्रम प्रस्तुत करने चाहिये। जिनसे मूल कर्त्तव्यों के संबंध में जागृति तथा चेतना का प्रसार हो।
5. मीडिया को ऐसे दृश्य दिखाने से परहेज करना चाहिये, जो जनता को उत्तेजित करते हों और उसे मूल कर्त्तव्यों से विचलित करते हों।

मूल कर्त्तव्यों की प्रवर्तनीयता

(Enforceability of Fundamental Duties)

☞ सामान्य धारणा यह है कि मूल कर्त्तव्य न्यायालयों के माध्यम से प्रवृत्त नहीं कराए जा सकते हैं अर्थात् यदि कोई नागरिक अपने मूल कर्त्तव्य का पालन न करे तो न्यायालय द्वारा नागरिक को दंडित नहीं किया जा सकता है। इस दृष्टि से मूल कर्त्तव्य भी राज्य के नीति-निदेशक तत्त्वों की तरह हैं। जिस तरह से राज्य को न्यायालय में इस बात के लिये प्रश्नगत नहीं किया जा सकता है कि वह नीति-निदेशक तत्त्वों का पालन नहीं कर रहा है, वैसे ही किसी नागरिक को इस बात के लिये बाध्य या दंडित नहीं किया जा सकता कि वह अपने कर्त्तव्यों का पालन नहीं कर रहा है। इसी आधार पर कुछ विद्वानों ने व्यंग्य करते हुए कहा है कि "मूल कर्त्तव्य निरर्थक घोषणाएँ मात्र है।''

वस्तुनिष्ठ प्रश्न

1. निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्त्तव्य कौन-सा है?
   (a) न्यायपालिका से कार्यपालिका का पृथक्करण
   (b) हमारी मिली-जुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना व महत्व प्रदान करना
   (c) बच्चों के लिये मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा
   (d) छूआछूत की परंपरा को समाप्त करना
2. 42वें संशोधन अधिनियम (1976) से भारतीय संविधान में एक नया अध्याय जोड़ा गया है-
   (a) संघीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित
   (b) अंतर्राज्यीय परिषदों के निर्माण
   (c) मौलिक कर्त्तव्य
   (d) इनमें से कोई नहीं
3. मौलिक कर्त्तव्यों को निर्धारित किया गया-
   (a) 40वें संशोधन द्वारा (b) 43वें संशोधन द्वारा
   (c) 42वें संशोधन द्वारा (d) 39वें संशोधन द्वारा
4. निम्नलिखित में से कौन-सी एक समिति ने नागरिकों के मूल कर्त्तव्यों को 1976 ई. में सम्मिलित करने की अनुशंसा की थी?
   (a) कोठारी समिति (b) स्वर्ण सिंह समिति
   (c) अशोक मेहता समिति (d) बलवंत राय मेहता समिति
5. भारतीय संविधान का अनुच्छेद- 51A नागरिकों के मौलिक कर्त्तव्य से संबंधित है। किस संविधान संशोधन से इसे लाया गया?
   (a) 46वाँ संशोधन (b) 42वाँ संशोधन
   (c) 71वाँ संशोधन (d) 73वाँ संशोधन
6. भारतीय संविधान में प्रारंभ में मौलिक कर्त्तव्यों का प्रावधान नहीं था। संविधान संशोधन द्वारा संविधान के किस भाग में इनका समावेश किया गया है?
   (a) भाग- III (b) भाग- IIIA
   (c) भाग- IV (d) भाग- IVA
7. मौलिक कर्त्तव्य किस समिति की सिफारिश पर भारतीय संविधान में जोड़े गए थे?
   (a) कालेकर समिति (b) हंसमुख अधिया समिति
   (c) रेखा समिति (d) स्वर्ण सिंह समिति
8. संविधान में मौलिक कर्त्तव्यों को कब सम्मिलित किया गया?
   (a) 1975 में (b) 1976 में
   (c) 1978 में (d) 1979 में
9. भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करने और उसे अक्षुण्ण रखने के मूल कर्त्तव्य को किस स्थान पर रखा गया है?
   (a) पहले (b) दूसरे
   (c) तीसरे (d) चौथे
10. वर्तमान में संविधान में कुल कितने मूल कर्त्तव्यों का उल्लेख है?
   (a) नौ (b) दस
   (c) ग्यारह (d) बारह